श्री भारतवर्षीय बरनवाल वैश्य महासभा

प्रादेशिक

प्रतिनिधि सम्मेलन

द्वारा पारित

संविधान

प्रकाशक—प्यारे लाल बरनवाल

संरक्षक—श्री भा० व० बरनवाल वैश्य महासभा

संयोजक :—

प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, बिहार प्रदेश

श्री भा० व० बरनवाल वैश्य महासभा

द्वारा गठित

संविधान निर्मात्री समिति

१ श्री प्यारे लाल बरनवाल, संरक्षक महासभा

२ ,, शिवकुमार बरनवाल, उपाध्यक्ष ,,

३ ,, चन्द्रिका लाल, प्रसार प्रचार मंत्री ,,

४ ,, केदार नाथ लाल, अधिवक्ता, संयोजक

५ ,, मधुसूदन लाल ,, पटना

६ ,, कन्हैया लाल बरनवाल ,,

७ ,, वीरभद्र प्रसाद बरनवाल वीर, अधिवक्ता, पटना

८ ,, डा० सर्वदेव गुप्ता, गोपालगंज

९ ,, शंकर प्रसाद, अधिवक्ता सुलतानपुर

१० ,, डा० आनन्द शंकर बरनवाल वाराणसी

११ ,, गौरी प्रसाद बरनवाल गया

सहयोग राशि १ रुपया

स्थानीय समितियों के संविधान का प्रारूप

नाम—इस समिति का नाम—बरनवाल सेवा समिति होगा।

कार्यालय-इस समिति का कार्यालय निर्धारित स्थान पर होगा।

उद्देश्य—यह समिति निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये काम करेगी।

१ स्थानीय बरनवाल बन्धुओं को संगठित करना।

२ बरनवाल जाति में शिक्षा के प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहन देना।

३ बरनवाल जाति के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में उत्थान के लिये स्थायी एवं अस्थायी सपत्ति अर्जित करना एवं इसकी व्यवस्था करना।

४ बरनवाल जाति का आर्थिक उन्नति के लिये सहकारिता, व्यवसाय एवं रोजगार के लिये नये तरीकों को प्रोत्साहन देना।

५ बरनवाल जाति में प्रचलित कुरीतियों, कुसस्कारों एवं संकीर्णताओं का निवारण करना।

६ स्थानीय जातीय विवादों को पारस्परिक सद्भाव से निपटाना।

७ बरनवाल जाति के निराश्रित, असहाय एवं लाचार व्यक्तियों की सहायता करना।

८ महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति एवं इसके कार्यकलापों के प्रचार-प्रसार के लिये बरनवाल चन्द्रिका के सदस्यों की संख्या बढ़ाना तथा महासभा के निर्णयों का कार्यान्वयन करना।

९ महासभा की राज्य समितियों तथा जनपदीय/जिला समितियों का सहयोग करना

१० वैश्य समुदाय की विभिन्न उपजातियों को एक सूत्र में बाँधने एवं संगठित करने का प्रयास करना।

११ वे सारे काय करना जिनसे जाति एवं राष्ट्र की उन्नति होती हो।

सगठन—इस समिति का गठन निम्नमिखित चार प्रकार के सदस्यों द्वारा होगा :--

१ **सामान्य सदस्य** :—स्थानीय समिति के कार्यक्षेत्र के सारे सदस्य बरनवाल स्थानीय समिति के सामान्य सदस्य होंगे। सदस्य को वार्षिक शुल्क ११/ रु० अथवा आजीवन शुल्क १११/ एक सौ ग्यारह देने होंगे। समिति के सामान्य नदस्य स्वत: जिला समिति तथा राज्य (प्रान्तीय) इकाई के भी सदस्य होंगे।

२ **कार्यकारिणी**– समिति के संचालन के लिये एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया जायगा स्थानीय समिति की सदस्यता शुल्क देने वाले सामान्य सदस्यों द्वारा अपने में से चुनाव कर कार्यकारिणी का गठन करेगें । कार्यकारिणी की न्यूनतम संख्या ११ होगी । इसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा।

३ **आजीवन सदस्य**-१११/- एक सौ ग्यारह रुपये से अधिक दान देने वाले सदस्य स्थानीय समिति के आजीवन सदस्य होगें ।

४ **संरक्षक सदस्य** [१] श्री भारतवर्षीय महासभा अथवा उसके अंगों के वर्तमान अथवा निवर्तमान पदाधिकारी स्थानीय समिति के संरक्षक सदस्य होंगें ।

२ स्थानी समिति की २५१/दो सौ इक्यावन रुपये अथवा स्थानीय समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम रकम दान देने वाले सदस्य संरक्षक सदस्य होंगें ।

३ वे भी संरक्षक सदस्य माने जायेगें जिन्हें स्थानीय समिति में इनकी सामाजिक सेवाओं के कारण संरक्षक मनोनित किया हो ।

—: स्थानीय समिति के अधिकार एवं कार्य : –

१ स्थानीय समस्याओं के निराकरण का प्रयास करना ।

२ अन्य स्थानीय समितियों को सहयोग करना ।

३ स्थानीय समिति की ओर से महासभा अंतरंग के लिए सदस्य भेजना ।

४ महासभा की स्थायी सम्पत्ति अथवा स्वजातीय बन्धुओं स्थानीय सामाजिक सम्पत्ति की उचित व्यवस्था करना ।

५ महासभा के अधिवेशनों में भाग लेना, महासभा के अधिकारियों के परिभ्रमण के समय सहयोग करना ।

६ स्थानीय समस्याओं स महासभा को अवगत करना तथा उनके समाधान में महासभा का सहयोग लेना/करना ।

७ स्थानीय सम्मेलन करना, क्षेत्रीय सम्मेलनों में भाग लेना तथा उनमें सहयोग करना ।

८ महासभा की कार्यकारिणी की बैठकों के लिये निकटस्थ स्थानीय समितियों के पदाधिकारियों को आमंत्रित करना एवं स्थानीय समिति का समस्याओं एवं कार्यकलापों की जानकारी देना ।

९ अन्य वे सारे कार्य जो बरनवाल समाज के उत्थान के लिये आवश्यक हो

कार्यकाल–स्थानीय समितियों की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

गठन—स्थानीय समिति की कार्यकारिणी का गठन निम्नलिखित सदस्यों द्वारा होगा।

अध्यक्ष	१	उपाध्यक्ष	१
मंत्री	१	संयुक्त मंत्री	१
कोषाध्यक्ष	१	सदस्य-न्यूनतम	६

—: अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य :—

१ कार्यकारिणी तथा आम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना।
२ मत विभाजन की दशा में निर्णायक अतिरिक्त मत देना।
३ अपना अधिकार उपाध्यक्ष को दे सकना।
४ विशेष परिस्थितियों में कार्यकारिणी की बैठक बुलाना।
५ अन्य वे काय जिनके लिये आम सभा इन्हें अधिकृत करें।

उपाध्यक्ष के कार्य–अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सारे कार्य करना।

मंत्री—ये स्थानीय समिति के प्रमुख कार्यकारी होंगे। इसके अधिकार एवं कार्य निम्नलिखित होंगे।

१ कार्यकारिणी के निर्णयों को लागू करना तथा कराना।
२ बैठकों की सूचना देना, बैठकों का संचालन करना, कार्यवाही लिखना, कार्यवाही पुस्तिका रखना।
३ किसी विषय का विचारार्थ बैठक में प्रस्तुत करना स्वयं भी प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
४ सारे आवश्यक पत्र व्यवहार करना।
५ कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में कार्यों का बँटवारा करना।
६ कायकारिणी की ओर से अन्य सदस्यों को धन संग्रह के लिए अधिकृत करना।

संयुक्त मंत्री :—

१ मत्री द्वारा दिये गये सारे कार्यों का सम्पादन करना।
२ मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री के कार्य को करना।

कोषाध्यक्ष :—

१ कोष संग्रह करना तथा कोष का हिसाब रखना।
२ सारी नकद तथा चल अचल सम्पत्ति का ब्योरा रखना।
३ धन प्राप्त करना एवं उचित भुगतान करना।
४ अध्यक्ष अथवा मंत्री के साथ बैंक खाते संचालित करना।
५ रोकड़ बही, रसोद बही, पास बुक, चेक बुक आदि रखना।

—: कार्यकारिणी के अधिकार तथा कार्य :—

१ स्थानीय समिति की आय को उचित रुप से व्यय करना, अनुचित व्यय करना।
२ विशेष समितियाँ नियुक्त करना, समितियों को बिघरित करना, समितियों के कत्तव्य/अधिकारों का निर्धारण करना।
३ समिति आय-व्यय के लेखों की जाँच करना।
४ कार्यकारिणी समिति में होने वाले रिक्त स्थान की स्वयं पूर्ति करना।
५ स्थानीय युवक संघ, महिला संघ आदि का गठन एवं उन्हें प्रोत्साहन देना।
६ आम सभा के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
७ अन्य वे सारे काय करना जिन्हें करने के लिये आम सभा द्वारा अधिकृत किया गया हो।

कोषा आय के स्त्रोत :— १ सदस्यता शुल्क।
२ आवश्यकतानुसार सहयोग राशि।
३ अन्य सभावित स्त्रोतों से आय।

कोरम— कार्यकारिणी की बैठकों में कोरम सदस्यता का १/३ होगा।

—: बैठक एवं चुनाव :—

१ स्थानीय समितियों की कायकारिणी की बैठक महीने में कम से कम एक बार अवश्य होगी।
२ आम सभा का सम्मेलन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगा।
३ अहिवरण जयन्ती स्थानीय स्तर पर अवश्य मनाई जायेगी।
४ वार्षिक सम्मेलन में ही नई कायकारिणी का गठन कर लिया जायगा।
५ विभिन्न अवसरों (होली, बसन्त पंचमी, दशहरा) पर सद्भावना मिलन समारोहों का आयोजन किया जायगा।
६ कार्यकारिणो का कोई सदस्य या पदाधिकारी सूचना भेजने पर भी लगातार तीन बैठकों में बिना उचित कारण बताये यदि उपस्थित न होंग तो वे कार्यकारिणो की सदस्यता से स्वत: वचित हो जायेंगे।

७ यदि किसी कारणवश लगातार दो वर्षो तक वार्षिक सम्मेलन एवं चुनाव न हो सके तो कोई भी ११ (ग्यारह) सामान्य सदस्य अध्यक्ष से अधिवेशन एवं चुनाव कराने की मांग कर सकते हैं तथा ऐसी मांग की तिथि से १ माह के अन्तर्गत यदि चुनाव न हो पाये तो प्रथम हस्ताक्षरी सम्मेलन बुलाकर नया चुनाव करा सकता है।

संशोधन-स्थानीय समिति की कार्यकारिणी श्री भारतवर्षीय बरनवाल वश्य महासभा के मूल उद्देश्यों की रक्षा करते हुये स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार कार्यकारिणी के दो तिहाई सदस्यों की राय से सविधान के प्रावधानों में परिवर्तन एवं संशोधन कर सकती है।

जिला समिति/जनपदीय समिति का संविधान

नाम : इस समिति का नाम ... ... बरनवाल सेवा समिति होगा।

कार्यालय :- इस समिति का मुख्यालय जिला मुख्यालय में होगा।

१ उद्देश्य : जिला के बरनवाल वन्धुओं को संगठित करना।

२ बरनवाल जाति के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में उत्थान के लिये स्थायी एवं अस्थायी संपत्ति अर्जित करना एव उसको व्यवस्था करना।

३ बरनवाल जाति की आर्थिक उन्नति के लिये सहकारिता, व्यवसाय एवं रोजगार के नये तरीकों को प्रोत्साहन देना।

४ बरनवाल जाति में प्रचलित कुरीतियों, कुसंस्कारो एवं संकीर्णताओं का निवारण करना।

५ जातीय विवादों को पारस्परिक सद्भाव से निपटाना।

६ बरनवाल जाति के निरासित, असहाय एवं लाचार व्यक्तियों की सहायता करना।

७ महासभा की उद्देश्यों की पूर्ति के लिये निरर्तयों के कार्यान्वियन के लिये प्रयास करना तथा बरनवाल चन्द्रिका के अधिकाधिक ग्राहक बनाना।

८ वैश्य उपजातियों को एक सूत्र में बाँधने एवं संगठित करने का प्रयास करना।

९ अन्य वे सारे कार्य करना जिनसे जाति एवं राष्ट्र की उन्नति होती हो।

संगठन :—

१ सामान्य सदस्य :— जिला के सारे बालिग बरनबाल बन्धु इसके सामान्य सदस्य होंगे।

२ कार्यकारिणी :—

जिला की सारी स्थानीय समितियाँ जिला समिति से सम्बद्ध होगी। प्रत्येक स्थानीय समिति जिला जनपदीय समिति के लिये दो प्रतिनिधियों का मनोनयन करेगी। स्थानीय समितियों के प्रतिनिधि मिलकर जिला समिति की कार्यकारणी का निर्माण करेंगें। जिला कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या कम-से-कम ११ ग्यारह होगी।

संरक्षक सदस्य—स्थानीय समितियों के संरक्षक सदस्य जला समितियों के भी संरक्षक सदस्य होंगे। जिला कार्यकारिणी अपने में से निम्नलिखित अधिकारियों का चुनाव करेगी।

१ अध्यक्ष	२ उपाध्यक्ष
३ मंत्री	४ संयुक्त मंत्री
५ कोषाध्यक्ष	६ कार्यकारिणी सदस्य (कम से कम ६)

—: अधिकार एवं कार्य :—

१ अपने जनपद/जिला की सारी स्थानीय समितियों का सुचारु रूप से संचालन करना।

२ स्थानीय समितियों द्वारा प्रेषित विभिन्न समस्याओं का समाधान करना

३ जिला स्तर पर यदि कोई समस्या प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो तो इसके समाधान के लिए कार्य करना।

४ महासभा द्वारा निर्देशित निर्णयों का अनुपालन करना।

५ स्थानोय समितियों तथा राज्य समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का काम करना।

कार्यकाल—जिला/जनपदीय समितियों का कार्यकाल १ वर्ष होगा जो जनवरी से दिसम्बर तक का होगा।

आय के स्त्रोत— १ वार्षिक शुल्क।
२ स्थायी संरक्षक शुल्क।
३ आवश्यकतासार सहयोग राशि।
४ अन्य संभावित स्रोतों से आय।

—: बैठक एवं चुनाव :—

१ जिला समितियों की कार्यकारिणी की बैठक त्रैमासिक अवश्य होगी। आवश्यकतानुसार इसकी अन्य बैठकें बुलाई जा सकती है।

२ प्रत्येक जनपदीय/जिला समिति तक वार्षिक सम्मेलन भी करायेगी जिसमें नये वर्ष की कार्यकारिणी का गठन भी होगा।

३ कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य या पदाधिकारी यदि सूचना देने पर भी बिना उचित कारण बताये लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होगा वह कार्यकारिणी को सदस्यता से स्वतः वंचित हो जायेगा।

४ कार्यकारिणी की बैठकों में कोरम कुल कार्यकारिणी के सदस्यों का १/३ होगा।

५ यदि किसी कारणवश लगातार दो वर्षों में वार्षिक सम्मेलन एवं चुनाव न हो सके तो कोई भी ११ सदस्य अध्यक्ष से अधिवेशन करने की लिखित माँग कर सकते हैं। माँग करने के एक माह बाद भी यदि चुनाव न हो पाये तो प्रथम हस्ताक्षरी सम्मेलन बुलाकर नया चुनाव करा सकता है।

संशोधन—कार्यकारिणी को यह अधिकार होगा कि श्री भारतवर्षीय बरनवाल वैश्य महासभा के मूल उद्देश्यों की रक्षा करते हुए स्थानीय परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार कार्यकारिणी की दो तिहाई बहुमत से संविधान में परिवर्तन एवं संशोधन कर सके।

राज्य समिति/प्रान्तीय सभा

नाम इस संगठन का नाम भी राज्य बरनवाल वैश्य सभा (श्री भा० व० बरनवाल वैश्य महासभा की राज्य इकाई) होगा।

मुख्यालय : इसका मुख्यालय राज्य के मुख्यालय [पटना/लखनऊ/कलकत्ता] होगा। नेपाल का मुख्यालय वीरगंज अथवा नेपाल के बरनवाल बन्धुओं की राय से किसी भी स्थान पर होगा।

उद्देश्य : श्री भारतवर्षीय बरनवाल महासभा के सारे उद्देश्य इसके भी उद्देश्य होंगे जिनकी पूर्ति के लिये यह राज्य स्तर पर प्रयास करेगी।

संगठन : राज्य इकाई का संगठन निम्नलिखित सदस्यों द्वारा होगा।

१ **सामान्य सदस्य** : राज्य में रहने वाले सारे बालिग बरनवाल बन्धु राज्य इकाई के सदस्य होंगे।

२ **प्रतिनिधि सभा** : [क] प्रत्येक जनपद/जिला समिति के अध्यक्ष एवं मंत्री तथा राज्य की प्रत्येक स्थानीय समिति के अध्यक्ष एवं मंत्री अथवा समिति द्वारा मनोनित कोई दो सदस्य राज्य प्रतिनिधि सभा के सदस्य होंगे। प्रतिनिधि सभा अपने में से एक कार्यकारिणी समिति का गठन करेगी।

[ख] प्रतिनिधि सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

[ग] प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल तीन वर्षों का होना।

कार्यकारिणी समिति: प्रतिनिधि सभा द्वारा एक १ कार्यकारिणी का गठन किया जायगा जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी होंगें।

१ अध्यक्ष—१
२ उपाध्क्ष—२
३ मंत्री —१
४ उपमंत्री—२
५ अन्य पदाधिकारी [महासभा के समान]
६ कार्यकारिणी सदस्य [वही]

२ कार्यकारिणी समिति की बैठक प्राय: त्रैमासिक होगी जो अलग-अलग जिलों में होगी।

३ प्रान्तीय समिति की कार्यकारिणी के सदस्यों की अधिकतम संख्या २१ होगी।

३ प्रतिनिधि सभा द्वारा दो अंकेक्षकों का भी मनोनयन किया जायगा जो कार्यकारिणी से अलग होंगें।

४ कार्यकारिणी समिति की बैठकों का कोरम सदस्य संख्या का १/३ होगा।

५ कार्यकारिणी का कोई सदस्य या पदाधिकारी सूचना देने पर भी बिना कारण बताये यदि लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होगा तो वह कार्यकारिणी की सदस्यता से स्वत: बंचित हो जायगा।

६ यदि किसी कारण वश ३ वर्ष बीतने के बाद ६ महीनों तक नई प्रान्तीय कार्यकारिणी का गठन न हो तो प्रतिनिधि सभा के कोई भी ११ सदस्य लिखित सूचना दे कर कार्यकारिणी के चुनाव की मांग कर सकते हैं एसी सूचना प्राप्त होने के दो माह के अन्तर्गत यदि चुनाव न हुआ तो प्रथम हस्ताक्षरी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर चुनाव करा सकता है।

७ संरक्षक सदस्यो को कार्यकारिणी की बैठकों में भाग लेने का अधिकार होगा।

आजीवन सदस्य : प्रान्तीय सभा को १११ (एक सौ ग्यारह रुपया) या अधिक दान देने वाले सदस्य प्रतिनिधि सभा के आजीवन सदस्य होंग।

संरक्षक सदस्य : [क] प्रान्तीय सभा को २५१/- दो सौ इक्यावन रु० देने वाले सदस्य प्रान्तीय सभा के संरक्षक सदस्य होंगें।

(ख) महासभा के वर्तमान या निवर्तमान पदाधिकारी प्रान्तीय सभा के संरक्षक सदस्य माने जायेंगे।

अधिकार का कार्य —अपने कार्य क्षेत्र में प्रान्तीय इकाईयों का वे ही अधिकार प्राप्त होंगे तथा वे ही काम करने पड़ेंगे जो भारतवर्षीय स्तर पर महासभा करती है।

महासभा तथा प्रान्तीय सभा के कार्यक्षेत्र में मतभेद होने पर महासभा की कार्यकारिणी को अन्तिम निर्णय करने का अधिकार होगा।

संवैधानिक मामलों में किसी प्रकार का मतभेद होने की दशा में संविधान के प्रावधानों की व्याख्या का अधिकार महासभा के अध्यक्ष को होगा।

आय के स्त्रोत—१ प्रतिनिधि शुल्क/सदस्यता शुल्क
२ सहयोग राशि/दान/चन्दा।
३ अन्य संभावित स्त्रोतों से आय।

सारे शुल्क प्रान्तीय सभा को रसीदों पर वसूले जायेंगे। सामान्य प्रतिनिधि शुल्क ११/ ग्यारह रुपये प्रति प्रतिनिधि, आजीवन सदस्यता शुल्क १११/ एक सौ ग्यारह रुपये तथा संरक्षक होने का शुल्क न्यूनतम २५१/ दो सौ इक्यावन रुपये होंगे। प्रान्तीय समिति की रसीदों पर वसूले जाने के बाद इसका वितरण भी भारत वर्षीय महासभा, प्रान्तीय सभा जिला समिति तथा स्थानीय समिति के बीच १०%, १५%, २५% तथा ५०% के अनुपात में होगा।

संशोधन—प्रान्तीय सभा की कार्यकारिणी को यह अधिकार होगा कि श्री भारत वर्षीय बरनवाल वैश्य महासभा के मूल उद्देश्यों की रक्षा करते हुए परिस्थिति एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कार्यकारिणी की दो तिहाई बहुमत से संविधान में संशोधन प्रस्ताव उपस्थित करेगी जो प्रतिनिधि सभा में सामान्य बहुमत से पारित होने के बाद लागू माना जायगा।

—※—